न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।
अपील संख्या 49/2018 जिला सीकर ।

औमप्रकाश पुत्र कुशलाराम जाति गुर्जर, निवासी सांगरवा, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. भीखारमा पुत्र कुशलाराम
2. लिक्ष्मण पुत्र कुशलाराम
3. भगवानी पुत्री कुशलाराम
4. बिदामी पुत्री कुशलाराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासी सांगरवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. उपपंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 22.10.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 04/2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 श्री हरलाल सिंह।

निर्णय

दिनांक–20.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 22.10.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक अपील भीखाराम बनाम औमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 327 वाके ग्राम सांगरवा दिनांक 19.06.1992 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में मृतक कुशला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करे।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 उपस्थित। शेष रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसर नम्बर 188 रकबा 1.20 है0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ में स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 55 रकंबा 1.28 है0 थे। उक्त भूमि का कुशला पुत्र काना रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.6.1992 को सहायक भू प्रबंध अधिकारी सीकर ने स्वीकार किया। नामान्तकरण अपीलांट् व उसकी मॉ जमना देवी के नाम स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जो विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है से कोई नामान्तकरण स्वीकृत नही किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 01 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की इजाजत लेने का आवेदन पत्र देना आवश्यक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

था जो कही नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर करीब 21 वर्ष 4 माह बाद पेश की गई थी व धारा 5 के तहत संतुष्टीप्रद कारण आवश्यकीय था जो कही नही दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम पर कोई निर्णय प्रदान नही किया गया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75(ग) के तहत भूप्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का प्रावधान है जो नही की गई है। भू प्रबंध संकियाओ के समाप्त होने पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार चाहता है तो केवल नियमित दावा प्रस्तुत कर ही अधिकार प्राप्त कर सकता है। नामान्तकरण की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 01 को प्रारम्भ से रही है व उसने कोई अपील नही की। यही नही विवादित भूमि पर कभी काबिज नही रहा है एवं कुछ लोगो के बहकावे के आकर यह मियादं बाहर अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई हैं। अपीलांट् ने एक दावा अपने सभी भाईयो के विरूद्ध घोषणा का प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से अपीलांट ने दावा वापस ले लिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 16.06.1992 को बहाल रखा जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2019 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 25.7.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंट् संख्या 01 के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि खसरा नम्बर 188 रकबा 1.20 है0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 55 रकबा 1.28 है0 थे। की खातेदारी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व0 कुशलाराम के खाते कब्जे काश्त की थी। कुशलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर का स्वर्गवास होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.7.1992 को सहायक भू प्रबंधक अधिकारी द्वारा स्व0 कुशलाराम के वैध वारिसान की बिना जांच किये ही रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 को छोडकर मात्र अपीलांट एवं स्व0 कुशलाराम की पत्नी स्व0 जमना के हक में तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर अपीलांट एवं स्व0 कुशलाराम की पत्नी स्व0 जमना के हक में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 327 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खातेदारी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के हक में स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर शीर्षक अपील भीखाराम बनाम औमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 327 वाके ग्राम सांगरवा दिनांक 19.06.1992 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में मृतक कुशला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.06.1992 ग्राम सांगरवा के संबंध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस् के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्टस् द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

8. प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक कुशला पुत्र काना की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 19.06.1992 वाके ग्राम सांगरवा के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील पेश कर कथन किया गया कि खसरा नम्बर 188 रकबा 1.20 है0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 55 रकबा 1.28 है0 थे। उक्त कृषि भूमि की खातेदारी अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 (वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4) के पिता स्व0 कुशलाराम के खाते कब्जे काश्त की थी। उपरोक्त कुशलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर का स्वर्गवास होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.7.1992 को सहायक भू प्रबंधक अधिकारी द्वारा स्व0 कुशलाराम के वैध वारिसान की बिना जांच किये ही कैम्प सांगरवा में रेस्पोडेंट संख्या 01 औमप्रकाश एवं स्व0 कुशलाराम की पत्नी स्व0 जमना के हक में तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर अपीलांट एवं स्व0 कुशलाराम की पत्नी स्व0 जमना के हक में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 327 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खातेदारी अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 (वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4) के हक में स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक अपील भीखाराम बनाम औमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 327 वाके ग्राम सांगरवा दिनांक 19.06.1992 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में मृतक कुशला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करे।

9. हम समझते हैं कि प्रकरण मृतक खातेदार कुशलाराम पुत्र कानाराम गुर्जर की विरासत के नामान्तकरण का होने के कारण रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 पारित कर नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 19.06.1992 वाके ग्राम सांगरवा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को रिमाण्ड किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में मृतक कुशला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है। हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(बाबूलाल गोयल)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner